अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम

एस.टी. नंबर 72 / 2021

धरहरा थाना कांड संख्या 114 / 2003

सुबोध यादव बनाम बिहार राज्य

15.10.2022 काराधीन आवदेक सुबोध यादव जो दिनांक 28.12.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में है तथा धरहा थाना कांड संख्या 114 / 2003 अंतर्गत धारा 364 / 302 / 201 / 34 भा0 दं0 सं0 की अभियुक्त है, के तरफ से दाखिल जमानत आवेदन उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा संचालित किया गया। जमानत आवेदन के पारा 2 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक द्वारा इस जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है।

उभय पक्ष को सुना।

अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है कि वादी का सात भैंस घटना तिथि से एक सवा माह पहले उसके घर ताड़तर बहियार मरकाटोला से गुम हो गया था, अपने खोय भैंस को खोजते हुए तथा पता करते हुए दिनांक 13.07.2003 को वह अपने मंझले भाई कृष्णा यादव एवं मौसेर चाचा दशरथ यादव के साथ 10 बजे दिन में धरहा पहुंचे। फिर वहां से 2 बजे दिन में (दिनांक 13.07.2003) औड़ा बगीचा से वीशो यादव एवं नरेश यादव के साथ अपने खोय हुए भैंस को खोजने के लिए निकले। भैंस खोजते हुए संध्या करीब 6:30 बजे ग्राम सेवेया के जगदम्बा स्थान के पास पहुंचे तो देखा कि उसके चार भैंस को सुबोध यादव, विलास यादव, पोपल यादव, बबलू यादव, नारायण यादव, मुकेश यादव हथियार से लैश होकर ले जा रहे थे। जब वादी भैंसे को पहचान कर उसे देने के लिए कहा तो पोपल यादव और बिनोद यादव यादव अपने आदमियों को कहे कि मारो साले को भैस पहचान लिया है। इस पर सभी अभियुक्तगण इन लोागें को मारने लगे। वे लोग भाग गये लेकिन वादी के भाई कृष्णा यादव को अभियुकत लोग लाठी डंडा से मारते हुए दक्षिण पहाड़ की ओर ले गये। इनके साथ स्थानीय लोगों ने घटना करने वाले को पहचाना है। वादी का आगे कथन है कि जगह अनजान होने के कारण ये भागते लुकते छिपते जान बचाकर दिनांक 16.07.2003 को अपने घर ताड़तर पहुंचे तथा दिनांक 17.07.2003 को धरहरा थाना में आकर घटना की सूचना दिये।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तर्क दिए कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष हैं और उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक को इस केस की कोई जानकारी नहीं है और वह इस केस में कभी संलिप्त नहीं हुआ है। सूचक द्वारा कभी भी आवेदक की पहचान नहीं किया गया है। सह अभियुक्त पोपल यादव, सीताराम यादव एवं अन्य को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम द्वारा दोषमुक्त किया गया है। आवेदक के पास से कोई सामान बरामद नहीं किया गया है।

15.10.2022

आवेदक दिनांक 28.12.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त किए जाने की कृपा की जाए।

उभय पक्ष को सुना तथा पूरक अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी की छायाप्रति का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है । अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि आवेदक के विरूद्ध आरोप है कि वह सह अभियुक्त के साथ मिलकर हथियार से लैस होकर सूचक का भैंस ले जा रहा था और जब वादी भैंस को पहचान कर उसे देने के लिए कहा तो आवेदक सहित सभी अभियुक्तगण उन लोगों को मारने लगे और वादी के भाई कृष्णा यादव को वे लोग लाठी डंडा से मारते हुए दक्षिण पहाड़ की ओर ले जाकर हत्या कर दिए। काण्ड दैनिकी के पारा 8, 9, 74 एवं 75 में साक्षियों का बयान दर्ज है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि वे अपने–अपने बयान में घटना का पूर्ण समर्थन किये हैं। काण्ड दैनिकी के पारा 32 में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट दर्ज है जिसके कालम पांच में तेज हथियार से गर्दन काटकर मृतक की हत्या करना बताया गया है। काण्ड दैनिकी के पारा 131 में मृतक कृष्णा यादव का पी.एम. रिपोर्ट दर्ज है जिसमें मृत्यु का कारण Haemmahage and Stock as result of head separated from the body by heavy sharp cut weapons बताया गया है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि अनुसंधानकर्त्ता द्वारा आवेदक सुबोध यादव को फरार दिखाते हुए आवेदक सहित सह अभियुक्तों के विरूद्ध पूरक आरोप पत्र संख्या 114/2006 दिनांक 31.10.2006 को समर्पित किया गया था और तब से आवेदक इस मामले में फरार रहा है तथा वह दिनांक 28.12.2020 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि सूचक सहित आरोप पत्र के पांच साक्षियों का साक्ष्य अभी नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए मैं आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाना उचित नहीं समझता हूं।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा आवेदक के विरूद्ध लगाए गए आरोप की गंभीरता को देखते हुए मैं आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाना उचित नहीं समझता हूं। तदनुसार आवेदक द्वारा दाखिल यह जामनत आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम

मुंगेर

दिनांक 15.10.2022